मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 8, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. भारतीय हाकी टीम की विजय पर बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री द्वारा कल दिनांक 26 फरवरी, 2012 को ओलम्पिक के क्वालिफाइंग मैच में भारतीय हाकी टीम की विजय के उपलक्ष्य में बधाई दी गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से भारतीय हाकी टीम को प्रोत्साहित करने पर मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद् दिया गया। अध्यक्ष द्वारा ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को यश एवं कीर्ति पाने हेतु शुभकामनाएं भी व्यक्त की गई।

2. स्वागत-उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री धरमजीत सिंह, विधायक एवं पूर्व उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत-उल्लेख किया गया।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नोत्तर की जानकारी वेबसाइट में होने का उल्लेख न करने विषयक

श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य ने प्रश्न संख्या 4 (*क्र.554) के उत्तर में श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री द्वारा वेबसाइट के माध्यम में जानकारी देने का उल्लेख करने पर प्रश्नकर्ता एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण द्वारा इसे अव्यवहारिक एवं नियमानुसार नही होने के कारण आपत्ति व्यक्त की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने हेतु विभागीय मंत्री को निर्देश दिए गए। विभागीय मंत्री द्वारा आसंदी की व्यवस्था का पालन करने एवं अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से भी मौखिक जानकारी देने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य को आश्वस्त किया गया।

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार :-

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले में नष्ट हुई फसलों का मुआवजा न दिये जाने,

(2) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य की मुरैना जिले के उपाध्याय गली में विद्युत खम्बे न लगाये जाने,

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर जिले में गंदे पानी का साफ करने का संयंत्र खराब होने,

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर के बड़े तालाब के किनारे अतिक्रमण होने,

(5) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के खिलचीपुर माचलपुर मार्ग स्थित नदी पर पुल न बनाये जाने,

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कटौती से बैंक का काम प्रभावित होने,

(7) श्री गिरीश गौतम, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम रघुराजगढ़ सड़क के बीच खड़े विद्युत खंबों से दुर्घटनाएं होने,

(8) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के सी.ई.ओ., रामपुर कर्चुलियान के विरूद्ध वसूली न होने एवं

(9) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरियावली क्षेत्र के ग्राम सडेरी में पानी की टंकी का निर्माण कार्य न होने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का चौवनवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

7. ध्यान आकर्षण

(कांग्रेस पक्ष के अधिकांश सदस्यगण उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचनाओं का सदन में उल्लेख करने की मांग करते हुए समाचार पत्र एवं अभिलेखों का प्रदर्शन करते हुए गर्भगृह में आए। तत्पश्चात्, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में उनके द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र स्थित शासकीय भवनों एवं भूमि पर अतिक्रमण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने रायसेन जिले के बारना परियोजना की नहर क्षतिग्रस्त होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम)
(2) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मंडला)
(3) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(4) श्री गिरीश गौतम (जिला-रीवा)
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मंदसौर)
(6) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)

9. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर, दिनांक 24 फरवरी, 2012 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(10) डॉ. गोविन्द सिंह
(11) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(12) श्री रामलखन सिंह
(13) श्री के.पी. सिंह
(14) श्री बाबूलाल वर्मा
(15) श्री श्रीकांत दुबे
(16) श्री राधेश्याम पाटीदार
(17) श्री देवेन्द्र वर्मा
(18) श्री रामनिवास रावत
(19) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा
(20) श्री नारायण प्रजापति
(21) श्री गौतम टेटवाल
(22) श्री आरिफ अकील
(23) श्री अलकेश आर्य
(24) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 9, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 27 फरवरी, 2012